अर्ध शा0प0सं0 13/18/1980–कार्मिक–1

राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव ।

कार्मिक अनुभाग–1
लखनऊ,, दिनांक 7 जुलाई, 1980

प्रिय महोदय ,

मुझे आपका ध्यान पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आकृष्ट करना है जिनमें यह कहा गया था कि कोई भी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित मामलों, तथा स्थानान्तरणों, प्रोन्नति आदि में मंत्रिमंडल एवं संसद के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के पास जा कर या उनके द्वारा दबाव डालने अथवा उनसे संस्तुति प्राप्त करने का प्रयास न करें ।

1––शासनादेश संख्या –22/2/71, नियुक्ति (ख) दिनांक 1 फरवरी, 1971 ।
2––अ0 शा0 प0 सं0–22/2/71, नियुक्ति (ख), दिनांक 27 जुलाई, 1971 ।
3––अ0 शा0 प0 सं0– 19/13/1977, कार्मिक–1 दिनांक 15 अक्टूबर, 1977 ।

2– शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि अब भी अधिकारीगण/ कर्मचारीगण अपने सेवा संबंधी मामलों में मुख्य मंत्री जी तथा मंत्रिगण से सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा राजनैतिक या अन्य बाहरी दबाव डलवाने का प्रयास करते हैं जो सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के नियम 27 में की गई व्यवस्था के विरुद्ध है । यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है । इस आपत्तिजनक प्रवृत्ति को रोकना अपरिहार्य है । अतएव अनुरोध है कि सभी कर्मचारीगण को सचेत कर दें कि अशासकीय माध्यम न अपनायें अन्यथा दोषी कर्मचारीगण /अधिकारीगण दण्ड के भागी होंगे ।

भवदीय,
राम बहादुर सक्सेना

शासन के समस्त सचिव / विशेष सचिव / समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या–13 /18/80 (1) –कार्मिक –1

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि मंत्रिगण के निजी सचिवों को मंत्रिगण महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी के सचिव के नोट संख्या–ओ/2338 सी0एम0, दिनांक 30–6–1980 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
एस० एम० एच० रिजवी,
सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 10 सा0 (नियुक्ति) 28–7–80–(1348)–1980–2,000 (हिन्दी)